//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव

राजस्व प्रकरण संख्या :— ~~100~~ 73 / 2024

उनवान

विपिन कुमार पुत्र बसन्त कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कौशल्या पुत्री श्योजी
2. मैना पुत्री श्योजी
3. रामकिशन पुत्र श्योजी
4. विमला पुत्री मिठु
5. शेखरचन्द पुत्र मिठु
6. सत्यनारायण पुत्र मिठु
7. सन्तोष पुत्र मिठु
8. हंगामी पत्नी मिठु
9. कमला पुत्री श्योजी
10. कौशल्या पुत्री श्योजी
11. गीतादेवी पत्नी रामकिशन
12. चांदमल पुत्र श्योजी
13. तीजादेवी पत्नी श्योजी
14. भंवरलाल पुत्र श्योजी
15. मैना पुत्री श्योजी
16. रामकिशन पुत्र श्योजी
17. सोहनी पुत्री श्योजी समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
18. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— 1, 3 9. 11. 12. 14 जरियें अधिवक्ता श्री भरत कुमार,
18 जरियें राज. पैरोकार

19. मुकेश पुत्र हरिवल्लभ उर्फ छोटूलाल
20. राजकुमार पुत्र हरिवल्लभ उर्फ छोटूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 19 व 20 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 30.10.24

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन [illegible] ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3227, 3228, 3229, 3241 रकबा क्रमशः 0.18, [illegible]9, [illegible] व 1.37 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी [illegible] कब्जा [illegible] चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदन पेश करने [illegible] 16.05.24 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सीमांकन किया गया तो पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 17 ने दखलदांजी करते हुये पत्थरगढी कराने की बात कहते हुये सीमांकन नही करने दिया। आराजी मुतनाजा के समीप अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 9. 11. 12. 14 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कृषि कार्य नही करता है। प्रार्थी के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। दिनांक 16.05.24 के सीमांकन की जानकारी जवाबकर्ता को नही दी गयी। जवाबकर्ता ने प्रार्थी के खेत की मेड तोडकर किसी प्रकार का नुकसान नही किया है। अप्रार्थीगण की भूमि हडपने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, पटवारी हल्का नान्दला द्वारा दिनांक 16.05.24 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान किया गया। किन्तु आवेदन पत्र द्वारा प्रार्थी ने आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी का निवेदन किया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी कृषि कार्य नही करता है। प्रार्थी के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। किन्तु आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवा सकता है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3227, 3228, 3229, 3241 रकबा कमशः 0.18, 0.19, 0.10 व 1.37 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:15 IST
Reason: SelfAttested